

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक:- 456506
ग्रा0वि0-5/प्र0आ0यो0(ल0 19-20)-102-45/2019

पटना, दिनांक:- 07/02/2020

प्रेषक,

अरविन्द कुमार चौधरी,
सरकार के प्रधान सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
सभी उप विकास आयुक्त।

विषय:- वर्ष 2019-20 में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के कार्यान्वयन हेतु जिलावार एवं कोटिवार भौतिक लक्ष्य का निर्धारण के संबंध में ।

प्रसंग :- विभागीय पत्रांक-429573 दिनांक-25.06.2019

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय के पत्र संख्या-G-20011/02/2019-RH(A/C) दिनांक-31.01.2020 के द्वारा राज्य में वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के कार्यान्वयन हेतु पूर्व से आवंटित 8 लाख भौतिक लक्ष्य के अतिरिक्त 2,12,359 लक्ष्य संसूचित किया गया है। SECC-2011 के आधार पर आवास की आवश्यकता वाले चिह्नित परिवारों के आधार पर तैयार प्रतीक्षा सूची में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कोटि में योग्य परिवार उपलब्ध नहीं रहने के कारण उक्त कोटि के लिए लक्ष्य आवंटित नहीं किया गया है। भारत सरकार से प्राप्त लक्ष्य को राज्य के आवास की आवश्यकता वाले चिह्नित परिवारों के आधार पर तैयार प्रतीक्षा सूची की जिलावार एवं कोटिवार संख्या तथा जिलों द्वारा योजनान्तर्गत कार्य प्रदर्शन एवं लक्ष्य प्रत्यर्पण के आधार पर राज्य का कुल भौतिक लक्ष्य 10,12,359 का अल्पसंख्यक कोटि के लिए 15 प्रतिशत अर्थात् 1,52,315 एवं अन्य कोटि में 8,60,044 जिलावार भौतिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिला के लिए कर्णांकित कोटिवार लक्ष्य के अनुरूप उक्त पद्धति के आधार पर ही प्रखण्डवार एवं पंचायतवार तथा कोटिवार भौतिक लक्ष्य का निर्धारण किया जायेगा। जिला के कुल निर्धारित लक्ष्य का 5 प्रतिशत दिव्यांग के लिए निर्धारित किया जाएगा। जिला अंतर्गत किसी पंचायत में किसी विशेष कोटि में योग्य लाभार्थी उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में प्रखण्ड स्तर पर लक्ष्य का अंतरित सामंजन किया जायेगा तथा किसी प्रखण्ड में किसी विशेष कोटि में योग्य लाभार्थी उपलब्ध नहीं रहने पर जिला स्तर पर लक्ष्य का आंतरिक सामंजन किया जायेगा। जिला अंतर्गत संबंधित कोटि में योग्य लाभार्थी नहीं रहने पर ही राज्य को लक्ष्य प्रत्यर्पित किया जायेगा।

अतः अनुरोध है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए संलग्न विवरणी में जिलावार एवं कोटिवार कर्णांकित लक्ष्य के अनुरूप प्रखण्डवार एवं पंचायतवार तथा कोटिवार लक्ष्य का निर्धारण एवं लाभुकों का चयन कर उनके संदर्भ में विस्तृत विवरणी आवास सॉफ्ट पर अपलोड करने की कार्यवाई सुनिश्चित की जाय ताकि बिना विलम्ब के लाभुकों को सहायता राशि उनके बैंक खाते में अंतरण करने की कार्यवाई सुनिश्चित हो सके।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन

(अरविन्द कुमार चौधरी)

सरकार के प्रधान सचिव

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक:-

पटना, दिनांक:-

ग्रा0वि0-5/प्र0आ0यो0(ल0 19-20)-102-45/2019

प्रेषक,

अरविन्द कुमार चौधरी,
सरकार के प्रधान सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
सभी उप विकास आयुक्त।

विषय:- वर्ष 2019-20 में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के कार्यान्वयन हेतु जिलावार एवं कोटिवार भौतिक लक्ष्य का निर्धारण के संबंध में ।

प्रसंग :- विभागीय पत्रांक-429573 दिनांक-25.06.2019

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय के पत्र संख्या-G-20011/02/2019-RH(A/C) दिनांक-31.01.2020 के द्वारा राज्य में वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के कार्यान्वयन हेतु पूर्व से आवंटित 8 लाख भौतिक लक्ष्य के अतिरिक्त 2,12,359 लक्ष्य संसूचित किया गया है। SECC-2011 के आधार पर आवास की आवश्यकता वाले चिह्नित परिवारों के आधार पर तैयार प्रतीक्षा सूची में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कोटि में योग्य परिवार उपलब्ध नहीं रहने के कारण उक्त कोटि के लिए लक्ष्य आवंटित नहीं किया गया है। भारत सरकार से प्राप्त लक्ष्य को राज्य के आवास की आवश्यकता वाले चिह्नित परिवारों के आधार पर तैयार प्रतीक्षा सूची की जिलावार एवं कोटिवार संख्या तथा जिलों द्वारा योजनान्तर्गत कार्य प्रदर्शन एवं लक्ष्य प्रत्यर्पण के आधार पर राज्य का कुल भौतिक लक्ष्य 10,12,359 का अल्पसंख्यक कोटि के लिए 15 प्रतिशत अर्थात् 1,52,315 एवं अन्य कोटि में 8,60,044 जिलावार भौतिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिला के लिए कर्णांकित कोटिवार लक्ष्य के अनुरूप उक्त पद्धति के आधार पर ही प्रखण्डवार एवं पंचायतवार तथा कोटिवार भौतिक लक्ष्य का निर्धारण किया जायेगा। जिला के कुल निर्धारित लक्ष्य का 5 प्रतिशत दिव्यांग के लिए निर्धारित किया जाएगा। जिला अंतर्गत किसी पंचायत में किसी विशेष कोटि में योग्य लाभार्थी उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में प्रखण्ड स्तर पर लक्ष्य का अंतरित सामंजन किया जायेगा तथा किसी प्रखण्ड में किसी विशेष कोटि में योग्य लाभार्थी उपलब्ध नहीं रहने पर जिला स्तर पर लक्ष्य का आंतरिक सामंजन किया जायेगा। जिला अंतर्गत संबंधित कोटि में योग्य लाभार्थी नहीं रहने पर ही राज्य को लक्ष्य प्रत्यर्पित किया जायेगा।

अतः अनुरोध है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए संलग्न विवरणी में जिलावार एवं कोटिवार कर्णांकित लक्ष्य के अनुरूप प्रखण्डवार एवं पंचायतवार तथा कोटिवार लक्ष्य का निर्धारण एवं लाभुकों का चयन कर उनके संदर्भ में विस्तृत विवरणी आवास सॉफ्ट पर अपलोड करने की कार्यवाई सुनिश्चित की जाय ताकि बिना विलम्ब के लाभुकों को सहायता राशि उनके बैंक खाते में अंतरण करने की कार्यवाई सुनिश्चित हो सके।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन

ह0/-

(अरविन्द कुमार चौधरी)

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक _____ . पटना, दिनांक _____

प्रतिलिपि- श्री प्रशांत कुमार, विशेष सचिव (आर0एच0) ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

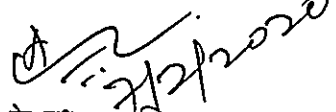
ह0/-

ज्ञापांक 456506 पटना, दिनांक 07/02/2020 सरकार के प्रधान सचिव

प्रतिलिपि- सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- श्री सुनील कुमार, आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।


सरकार के प्रधान सचिव


Pradhanmantri Awaas Yojna (Gramin)

Category Wise Target Distribution of FY 2019-20 (as per Additional Target)

#	District Name	Total Old Target	Others			Minorities			Total New Target of District
			Old Target of Others	Additional Target Given	New Target	Old Target of Minorities	Additional Target Given	New Target	
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8	9 (7+8)	10
1	ARARIA	43694	21307	500	21807	22387	500	22887	44694
2	ARWAL	2361	2308	2000	4308	53	0	53	4361
3	AURANAGABAD	9333	8908	9000	17908	425	0	425	18333
4	BANKA	28224	25062	6657	31719	3162	864	4026	35745
5	BEGUSARAI	37640	34450	15000	49450	3190	2500	5690	55140
6	BHAGALPUR	21568	18757	4982	23739	2811	768	3579	27318
7	BHOJPUR	20664	19634	16255	35889	1030	272	1302	37191
8	BUXAR	4690	4622	4000	8622	68	0	68	8690
9	DARBHANGA	53578	42603	500	43103	10975	500	11475	54578
10	GAYA	11270	10288	2733	13021	982	260	1242	14263
11	GOPALGANJ	5158	4981	5000	9981	177	0	177	10158
12	JAMUI	15731	14513	500	15013	1218	100	1318	16331
13	JEHANABAD	5667	5513	5000	10513	154	41	195	10708
14	KAIMUR (BHABUA)	4678	4493	4500	8993	185	0	185	9178
15	KATIHAR	28476	15998	5000	20998	12478	9543	22021	43019
16	KHAGARIA	25580	23975	500	24475	1605	424	2029	26504
17	KISHANGANJ	4654	1381	900	2281	3273	2500	5773	8054
18	LAKHISARAI	4495	4413	1172	5585	82	0	82	5667
19	MADHEPURA	21588	18991	500	19491	2597	500	3097	22588
20	MADHUBANI	46523	38778	500	39278	7745	500	8245	47523
21	MUNGER	7277	7277	10000	17277	0	0	0	17277
22	MUZAFFARPUR	40927	39727	500	40227	1200	100	1300	41527
23	NALANDA	6227	6178	8000	14178	49	0	49	14227
24	NAWADA	4318	4057	2500	6557	261	0	261	6818
25	PASCHIM CHAMPARAN	29894	24067	7500	31567	5827	3700	9527	41094
26	PATNA	26039	25251	500	25751	788	0	788	26539
27	PURBI CHAMPARAN	46291	39197	15500	54697	7094	5000	12094	66791
28	PURNIA	22780	13771	500	14271	9009	500	9509	23780
29	ROHTAS	7333	6941	3000	9941	392	0	392	10333
30	SAHARSA	27597	24326	15000	39326	3271	1000	4271	43597
31	SAMASTIPUR	59541	54958	500	55458	4583	500	5083	60541
32	SARAN	18163	17392	15000	32392	771	204	975	33367
33	Sheikhpura	1389	1381	2000	3381	8	0	8	3389
34	SHEOHAR	8780	7910	2101	10011	870	230	1100	11111
35	SITAMARHI	39916	33196	500	33696	6720	500	7220	40916
36	SIWAN	5353	4880	5000	9880	473	0	473	10353
37	SUPAUL	26043	22812	500	23312	3231	500	3731	27043
38	VAISHALI	26560	25243	6705	31948	1317	348	1665	33613
Total		800000	679539	180505	860044	120461	31854	152315	1012359

k